

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग।

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

फैक्स
निबंधित

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अरवल, शिवहर, नवादा, भभुआ, किशनगंज,
सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतीहारी, सिवान, औरंगाबाद,
दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, गया एवं सासाराम।

पटना, दिनांक :- 07/01/2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- 200-अन्य कार्यक्रम-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रित को विशेष भत्ता(सम्मान भत्ता) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जिलान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी/आश्रित पेंशनधारियों को रूपये 2000/-रूपये (दो हजार) प्रतिमाह, प्रति सेनानी की दर से भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुरूप कुल 3,32,64,000/-रूपये (तीन करोड़ बत्तीस लाख चौसठ हजार) रूपये का आवंटन दिया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	पेंशनधारियों की सं०	2000=00 (दो हजार) की दर से प्रति सेनानी को माह अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक के लिए आवंटित राशि	बकाया राज्यांश का भुगतान हेतु अधियाचित राशि	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	अरवल	29	696000		696000
2.	शिवहर	16	384000		384000
3.	नवादा	25	600000		600000
4.	भभुआ	32	768000		768000
5.	किशनगंज	03	72000		72000
6.	सीतामढ़ी	67	1608000		1608000
7.	मधुबनी	386	9264000		9264000
8.	मोतीहारी	103	2472000		2472000
9.	सिवान	26	624000		624000
10.	औरंगाबाद	27	648000		648000
11.	दरभंगा	240	5760000		5760000
12.	मुजफ्फरपुर	140	3360000		3360000
13.	सारण	92	2208000		2208000
14.	समस्तीपुर	62	1488000		1488000
15.	गया	69	1656000		1656000
16.	सासाराम	-	-	1656000	-
	कुल:-	1317	3,16,08,000	16,56,000	3,32,64,000

(तीन करोड़ बत्तीस लाख चौसठ हजार) रूपये मात्र

(2)

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय शीर्ष-0401-पेंशन तथा 'विपन्न कोड सं0-एन 2235602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति सम्मान भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0-2561, दिनांक- 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत् घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

विश्वासभाजन,

Om

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक- 07/01/2016

निबंधित
फैक्स

ज्ञापांक- 02 पटना, दिनांक- 07/01/2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, अरवल, शिवहर, नवादा, भभुआ, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतीहारी, सिवान, औरंगाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, गया ^{एवं सीतामढ़ी} का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Om

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 02 पटना, दिनांक- 07/01/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Om

7.1.16
सरकार के प्रधान सचिव।